न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 66/2012

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.	सुखिया पत्नी मगाराम	1.	हरजीराम
2	रामचन्द्र पुत्र मगाराम	2	लक्ष्मणराम
3	विनोद पुत्र मगाराम	3	मांगीलाल
4	फेफली पत्नी हिम्मताराम	4	तुलसाराम
5	श्रवण पुत्र हिम्मताराम	5	माधाराम
6	ललीता पुत्री हिम्मताराम	6	कानाराम पिसरान पुकाराम, जातियान लवार, निवासीगण खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राज0
7	जसु पुत्री हिम्मताराम		
8	देउ पुत्री हिम्मताराम,		
9	पानी देवी पुत्री दलाराम जातियान प्रजापत निवासीगण खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राज0।	7	भंवरी देवी
		8	सुखीया देवी
		9	माडी देवी पुत्रीया पुकाराम, जातियान लवार, निवासीगण खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		10	कमला देवी पत्नी माधुराम, जाति प्रजापत निवासी खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		11	तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 22.07.2019

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा खौखरा तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 726 रकबा 0.4500 हैक्टर की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है जिसके खसरा नम्बर 76 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली अनुसार भूलपुरूष दलाराम पुत्र गैनाराम की पत्नी फैफली (फौत) के 4 संतान माधुराम, हिमताराम, मगाराम, पानीदेवी हुई। कमला पत्नी माधुराम, फैफली पत्नी हिमताराम की 4 संतान श्रवण, ललिता, जसु, देउ, तथा सुखीया पत्नी मगाराम की 2 संतान रामचन्द्र व विनोद है। वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 जिसके पुराने खसरा 76 रकबा 2 बीघा 13 बीस्वा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गैना की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी, जिस पर वादीगण के पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गेना बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त थे, जिस पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वादस्थ कृषि भूमि के पूराने खसरा 76 राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 एवं जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में वादीगण के पित/ससुर/दादा दलीया पुत्र गेना कौम कुम्हार का बतौर खातेदार इन्द्राज है। राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान सम्वत् 2029 में भी वादीगण के पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गैना का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज है। सेटलमेंट के दौरान वादीगण के पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गेना का स्वर्गवास हो चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख 1 से 10 के पिता/पति पुखाराम पुत्र डूंगाराम जाति लोहार ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.1974 को खसरा नम्बर 76 सेटलमेंट की दुरूस्ती करवाने का पेश किया था। निवेदन किया कि दलाराम कुम्हार को हटाकर मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे, उक्त आवेदन पत्र को सेटलमेंट अधिकारियों (सहायक भू–प्रबंध विभाग) ने पत्रावली संख्या 277/74 दिनांक 28.08.1974 को दर्ज किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.09.1974 को गैर सायल दलाराम को जरिये सम्मन से तलब करने हेतु तारीख मुकर्रर की गई। दिनांक 22.07.1974 को आज्ञापत्र में दर्ज किया गया कि गैरसायल दलिया फौत हो चुका है, तथा विधवा फैफली हाजिर है, तथा आगामी तारीख पेशी 12.10.1974 को उज्रदार को कब्जा बाबत् सबूत पेश करने हेतु नियत की गई। दलिया बल्द गेना वादीगण के पिता/ससुर/दादा के स्वर्गवास के बाद उनके सभी विधिक वारिसान को वगैर नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये सेटलमेंट अधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.1975 को बिना मौके की जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण के पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गेना के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दौराने सेटलमेंट ही पुखाराम वल्द डूंगाराम का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि सेटलमेंट अधिकारी को ऐसा करने का कतई हक अधिकार नही है। सेटलमेंट अधिकारियों को राजस्व रेकर्ड में पूर्व के इन्द्राज को दोहराने का ही हक अधिकार है, सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराने दस्तावेज का अवलोकन किये बगैर एवं वादीगण संख्या 1 व 4 के पति को सुने बगैर एवं बिना नोटिस दिये अपने अधिकारों से परे जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित कर पुखाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया, जो गलत दर्ज किया गया है। वादीगण संख्या 1 व 4 के ससुर का स्वर्गवास के कुछ समय बाद उनके पति मगाराम व हिम्मताराम का भी स्वर्गवास हो गया था। वादी संख्या 1 व 4 के पति के स्वर्गवास के दौरान उनके विधिक वारिसान वादी संख्या 2, 3, 5 से 9 नाबालिक थे, जिसका फायदा उठाकर बाले–बाले सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभक्ति कर वादीगण को बगैर सुने वादस्थ कृषि भूमि अपने नाम से करवा दी। जबकि उस दौरान कोई कब्जा प्रतिवादीगण का नही था। वादीगण का कृषि भूमि में 2/3 हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 से 4 के पति का स्वर्गवास के बाद उनके परिवार का सारा बोझ दोनो वादीगण पर पड़ गया था। वादी संख्या 2, 3 5 से 9 नाबालिक थे, जिसका भी पालन–पोषण का सारा खर्चा वादीगण संख्या 1 व 4 द्वारा दिया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

गया। इसलिए वादीगण को अपने परिवार सहित खाने कमाने हेतु बाहर जाना पड़ा, वादीगण जब भी बाहर से अपने पैतृक गांव आते, तब उक्त कृषि भूमि की सार सम्भाल करते। प्रतिवादीगण के पति/पिता ने मौके का फायदा उठाकर वादीगण की अनुपस्थिति में सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज इन्द्राज करवा दिया जो बिल्कुल गलत किया गया, प्रतिवादीगण वादीगण की अनुपस्थिति में वादस्थ कृषि भूमि में नाजायज तरीके से राजस्व तरीके से राजस्व रेकर्ड में केवल नाम दर्ज हो जाने के कारण अवैध रूप से कब्जा करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 द्वारा नाजायज तरीके से अवैध अतिक्रमण कर दिया जाता है, तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। वादीगण वादस्थ कृषि भूमि से महरूम हो जायेंगे। यदि दोराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 वादस्थ कृषि भूमि पर कब्जा कर देते है, तो प्रतिवादीगण को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल किया जाना भी कानुनन एवं न्याय संगत है। दिनांक 5.02.2012 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि यह कृषि भूमि हमारे नाम की है, उक्त कृषि भूमि में पैर भी नही रखने देंगे, न ही काश्त करने देंगे। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को ऐसा करने का कतई हक व अधिकार नही है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है कि वादीगण के कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी नही करें। सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण को बगैर सुने विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण के पिता/ससुर/दादा दलीया पुत्र गेना का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पति/पिता का दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज किया गया। इसलिए वादीगण दलिया वल्द गेना के विधिक वारिसान होने से पुनः खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का भी पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 05.02.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के द्वारा वादीगण को वादस्थ कृषि भूमि में जाने से रोकने एवं कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करने एवं काश्त नही करने की धमकिया देने से बमुकाम खोखरा उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 12 राज्य सरकार तहसीलदार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का विधिक नोटिस दिया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है। वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का है, प्रतिवादी संख्या 1 से 11 किसी भी समय वादस्थ कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए विधिक नोटिस की दो माह की अवधि की छूट दिया जाना आवश्यक है। इसलिए धारा 80(2) सीपीसी का प्रा0 पत्र अलग से पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोखरा तहसील सोजत में स्थित होने से उक्त वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रति0 पेश करे, सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत खसरा नम्बर 726 रकबा 0.4500 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का नाम हटवाये जाकर वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 वादीगण की वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 पर अवैध रूप

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है तो वादस्थ कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को सुपुर्द किया जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस प्रति0 सं0 1 फौत हो जाने से उनके विधिक वारिसान प्रति सं0 2 से 10 पूर्व से रेकर्ड पर है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 झमकू बेवा पुकाराम का नाम डिलिट (हटाये) किये जाने की ईश्तदुआ पर प्रा0 पत्र दिनांक 04.06.2013 को स्वीकार किया गया तथा प्रति सं0 1 का नाम वाद–पत्र से हटाया गया। प्रति सं0 4 से 11 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.03.2014 को की गई। प्रति0 सं0 3 को बावजूद अनेकानेक अवसरों के भी ज0दा0 पेश करने में विफल रहने से ज0दा0 दिनांक 4.06.2013 को अवसर समाप्त कर बन्द किया गया। शहादत वादीगण पीडब्ल्यु–1 सुखिया व पीडब्ल्यु–2 फैफली के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश होकर मुख्य परीक्षण पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 10.04.2018 को पूर्ण जिरह करवाई गई। तत्पश्चात अनेकानेक अवसरों पश्चात् दिनांक 30.01.2018 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा अन्य शहादत वादीगण पेश नहीं करना चाहने पर शहादत वादी बन्द की गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने हस्व वाद–पत्र में दर्शित तथ्यों अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वक्त सैटलमेंट विभाग (सहायक भू प्रबंध विभाग) द्वारा पत्रावली संख्या 277/74 दिनांक 28.08.74 दायर होकर विधिक वारिसानों को नोटिसेज दिये बिना तथा मौके की जांच किये बिना दर्ज किया गया तथा प्रति0 के पिता पुखाराम का गलत नाम दर्ज कर दिया। जिससे उनके वारिसान प्रति0 सं0 1 से 10 के नाम हटवाये जाकर वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने, कब्जे/अतिक्रमण करने पर पुनः वादीगण को दिलाये जाने अर्थात् वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधिवत् एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो जाने से नाम हटाये (डिलिट) जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, सजरा वंशावली एवं दस्तावेजात, शहादत वादीगण के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पीडब्ल्यु–1 सुखीया व पीडब्ल्यु–2 फैफली तथा मुख्य परीक्षण एवं जिरह के कलम बद्ध किये गये बयानात आदि का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। प्रदर्शित दस्तावेजात प्रदर्श exp-1 से exp-4 आदि गहनता से अध्ययन करने पर स्पष्टतः दृष्टिगत है कि इन्द्राज दुरूस्ती उजदारी संख्या 116/74 (277/74) सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी (भू अभिलेख अधिकारी) जोधपुर को प्रस्तुत की गई।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

वाद विधिक सुनवाई न्यायिक प्रक्रियाधीन की जाकर उक्त न्यायालय से निर्णय हुआ है। जिसकी अपील सुनने का अधिकार भू–प्रबंध अधिकारी (जिला कलक्टर महोदय, पाली को है, के न्यायालय में विधिवत् अपील पेश नहीं की जाकर धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद गलत एवं विधि विरूद्ध पेश किया है। फलतः हस्तगत वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा सैटलमेंट विभाग के सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा निर्णय के विरूद्ध भू प्रबंधक अधिकारी अर्थात् (जिला कलक्टर पाली) को निहित होने से तथा क्षेत्राधिकार से बाहर वाद का प्रस्तुत वाद प्रकरण पोषणीय नहीं होने से नया वाद/उज्रदारी पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाना उचित समझते हे।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चूँकि हस्तगत वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा सैटलमेंट विभाग के सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा निर्णय के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी अर्थात् (जिला कलक्टर पाली) को अधिकार निहित होने से तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर वाद का प्रस्तुत वाद प्रकरण पोषणीय नहीं होने से नया वाद/उज्रदारी पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो। बाद तक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख्य भंण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.	सुखिया पत्नी मगाराम	1.	हरजीराम
2	रामचन्द्र पुत्र मगाराम	2	लक्ष्मणराम
3	विनोद पुत्र मगाराम	3	मांगीलाल
4	फेफली पत्नी हिम्मताराम	4	तुलसाराम
5	श्रवण पुत्र हिम्मताराम	5	माधाराम
6	ललीता पुत्री हिम्मताराम	6	कानाराम पिसरान पुकाराम, जातियान लवार, निवासीगण खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राज0
7	जसु पुत्री हिम्मताराम		
8	देउ पुत्री हिम्मताराम,		
9	पानी देवी पुत्री दलाराम जातियान प्रजापत निवासीगण खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राज0।	7	भंवरी देवी
		8	सुखीया देवी
		9	माडी देवी पुत्रीया पुकाराम, जातियान लवार, निवासीगण खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		10	कमला देवी पत्नी माधुराम, जाति प्रजापत निवासी खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		11	तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 66/2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण तथा श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चूँकि हस्तगत वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है तथा सैटलमेंट विभाग के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा निर्णय के विरूद्ध भू प्रबंधक अधिकारी अर्थात् (जिला कलक्टर पाली) को अधिकार निहित होने से तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर वाद का प्रस्तुत वाद प्रकरण पोषणीय नहीं होने से नया वाद/उज्रदारी पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.07.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned by CamScanner